

CPWD द्वारा दवियांगों के लिये 4% आरक्षण की अनुमति

प्रलिस के लिये:

दवियांग वयक्तियों के अधिकार अधनियम, 2016, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी से संबंधित वभिन्न योजनाएँ

मेन्स के लिये:

वंचित वर्ग के लिये योजनाएँ, दवियांग वयक्तियों के अधिकार अधनियम, 2016

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [केंद्रीय लोक नरिमाण वभिण \(CPWD\)](#) ने दवियांग वयक्तियों (PwD) के लिये आरक्षण किये जाने वाले जूनियर इंजीनियर (सविलि और इलेक्ट्रिकल) के 4% पदों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की है, इस प्रावधान को [दवियांग वयक्तियों के अधिकार अधनियम, 2016 \(RPwD Act\)](#) द्वारा अनविर्य बनाया गया है।

प्रमुख बदि

- केंद्रीय लोक नरिमाण एजेंसी ने अपने कषेत्रीय कार्यालयों को 4% पदों और स्थानों की पहचान करने के लिये कहा है, जहाँ दवियांग वयक्तियों को नयुक्त कया जा सकता है।
- CPWD ने कषेत्रीय केंद्रों को भी **PwDs** के लिये "**उचित आवास**" बनाने के नरिदेश दिये हैं, जैसा कि **RPwD** अधनियम में भी उल्लिखित है।
- इससे पहले वशिषज्ज समति (CPWD के तहत) का मानना था कि **PwDs** को सर्वप्रथम उस स्थान के लिये अपेक्षित तकनीकी योग्यता या पद की आवश्यकता है और उसके पश्चात् उन्हें उस पद के लिये चयन प्रक्रिया में प्रतस्पर्धा करनी होगी।
- बाद में समति ने CPWD को जेई (सविलि और इलेक्ट्रिकल) की भरती के लिये DEPwD की अधसूचना का पालन करने की सलाह दी।

दवियांगता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- [राज्य के नीति नरिदेशक](#) सदिधांत के अंतर्गत **अनुच्छेद-41** में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमा के भीतर कार्य, शकिषा व बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अक्षमता के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिये प्रभावी प्रावधान करेगा।
- संवधान की [सातवी अनुसूची](#) की राज्य सूची में 'दवियांगों और बेरोजगारों को राहत' वषिय नरिदषिट है।

दवियांग वयक्तियों के अधिकार अधनियम, 2016:

- **परभाषा:**
 - दवियांगता को एक वकिसति और गतशील अवधारणा के आधार पर परभाषित कया गया है।
 - बेंचमार्क दवियांगता से तात्पर्य अधनियम के तहत मान्यता प्राप्त कसि भी प्रकार की कम-से-कम 40% दवियांगता से है।
- **प्रकार:**
 - दवियांगों के प्रकार को **7 से बढ़ाकर 21** कर दया गया है।
 - इस अधनियम में मानसिक बीमारी, ऑटज़िम, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्क्युलर डसिट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल बीमारियाँ, भाषा दवियांगता, [थैलेसीमिया](#), [हीमोफिलिया](#), सकिल सेल रोग, बहरा, अंधापन, एसडि अटैक पीडलियों और पार्कसिंस रोग सहित कई दवियांगताएँ शामिल हैं।
 - इसके अलावा सरकार को नरिदषिट दवियांगता की कसि अन्य श्रेणी को अधसूचित करने के लिये भी अधिकृत कया गया है।
- **आरक्षण:**
 - दवियांगों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शकिषा संस्थानों में 3% से बढ़ाकर 5% कर दया गया है।

- **शिक्षा:**
 - बेंचमार्क दवियांगता वाले 6 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा वित्तपोषण एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता होगी।
- **अभिम्यता:**
 - [सुगम्य भारत अभियान](#) के साथ-साथ सार्वजनिक भवनों में निर्धारित समय सीमा में पहुँच सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
- **नियामक संस्था:**
 - दवियांग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त अधिनियम के कार्यान्वयन की नगिरानी के लिये नियामक एवं शिकायत नविरण नकियों के रूप में कार्य करेंगे।
- **वशेष कोष:**
 - दवियांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये एक अलग राष्ट्रीय और राज्य कोष बनाया जाएगा।

PwDs हेतु वभिन्न सरकारी योजनाएँ:

- **दशा (DISHA):**
 - यह **राष्ट्रीय न्यास अधिनियम** के अंतर्गत आने वाले दवियांगों के साथ 10 वर्ष तक के बच्चों के लिये प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना है।
- **वकिस (VIKAAS):**
 - ऑटज़िम, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, या बहु-दवियांगता वाले 10 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिये डे केयर कार्यक्रम ताकि उन्हें अपने पारस्परिक और व्यावसायिक कौशल में सुधार करने में मदद मिल सके।
- **समर्थ (SAMARTH):**
 - अनाथों, संकटग्रस्त परिवारों और **बीपीएल** और **एलआईजी** परिवारों के दवियांग लोगों (जनिके पास राष्ट्रीय न्यास अधिनियम द्वारा कवर की गई चार दवियांगताओं में से कम-से-कम एक है) के लिये राहत गृह प्रदान करने का कार्यक्रम है।
- **घरौदा (GHARAUNDA):**
 - यह योजना ऑटज़िम, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दवियांग व्यक्तियों को जीवन भर आवास और देखभाल सेवाएँ प्रदान करती है।
- **नरिमाया (NIRAMAYA):**
 - यह योजना ऑटज़िम, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दवियांग व्यक्तियों को **कफायती स्वास्थ्य बीमा** प्रदान करने के लिये है।
- **सहयोगी (SAHYOGI):**
 - दवियांग लोगों (पीडब्ल्यूडी) और उनके परिवारों की कुशल देखभाल करने वालों को प्रशिक्षित करने के लिये **देखभालकर्ता प्रकोष्ठ (Caregiver Cells-CGCs)** स्थापित करने की योजना है।
- **प्रेरणा (PRERNA):**
 - ऑटज़िम, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-दवियांग व्यक्तियों द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं सेवाओं की बिक्री के लिये व्यावहारिक व व्यापक प्रसार चैनल बनाने के लिये एक वपिणन योजना।
- **समभाव (SAMBHAV):**
 - यह एड्स, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रकार के सहायक उपकरणों को इकट्ठा करने तथा व्यवस्थित करने के लिये प्रत्येक शहर में अतिरिक्त संसाधन केंद्र स्थापित करने की योजना है।
- **बढ़ते कदम (BADHTE KADAM):**
 - यह योजना राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों (आरओ) को राष्ट्रीय न्यास की अक्षमताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने की गतिविधियों को संचालित करने में सहायता करती है।
- **अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाएँ:**
 - [सुगम्य भारत अभियान: दवियांगजनों के लिये सुगम वातावरण का नरिमाण](#)।
 - [सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये दवियांग व्यक्तियों को सहायता योजना \(एडीआईपी\)](#)।
 - [दीनदयाल दवियांग पुनरवास योजना](#)।
 - [दवियांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फ़ैलोशिप](#)।
 - [वशिषिट दवियांगता पहचान परियोजना](#)।
 - [दवियांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दविस](#)।
 - [राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम](#)।

केंद्रीय लोक नरिमाण वभिग (CPWD)

- CPWD जुलाई 1854 में अस्तित्व में आया जब लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक कार्यों के नषिपादन के लिये एक केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की तथा अजमेर प्रांतीय डविज़न की नींव रखी।
- यह पछिले 164 वर्षों से देश की सेवा कर रहा है।
- यह अब एक व्यापक नरिमाण प्रबंधन वभिग के रूप में वकिसति हो गया है, जो परियोजना की अवधारणा से लेकर पूर्णता, परामर्श और रखरखाव प्रबंधन तक सेवाएँ प्रदान करता है।
- इसकी अध्यक्षता महानदिशक (DG) द्वारा की जाती है जो भारत सरकार का प्रधान तकनीकी सलाहकार भी है। कषेत्रों और उप-कषेत्रों का नेतृत्व क्रमशः वशिष महानदिशक एवं अतिरिक्त महानदिशक करते हैं, जबकि सभी राज्यों की राजधानियों (कुछ को छोड़कर) के कषेत्रों का नेतृत्व मुख्य अभयिता करते हैं।
- CPWD की पूरे भारत में उपस्थिति है तथा यह दुष्कर इलाकों में भी जटिल परियोजनाओं के नरिमाण और नरिमाण के बाद के चरण में रखरखाव करने की

क्षमता रखता है।

- CPWD वर्ष 1982 के एशियाई खेलों और वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के लिये स्टेडियमों के निर्माण एवं अन्य बुनियादी ढाँचे की आवश्यकताओं की पूर्ति में शामिल था।

वर्गित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. भारत लाखों दवियांग वयक्तियों का घर है। कानून के अंतरगत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 साल की उमर तक मुफ्त स्कूली शिक्षा।
2. व्यवसाय स्थापति करने के लिये भूमिका अधिमिन्य आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: d

- जैसा कि वर्ष 2011 में सवाल पूछा गया था, तब दवियांग वयक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 अस्तित्व में नहीं था। दवियांग वयक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 दवियांग लोगों के लिये समान अवसर व राष्ट्र निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- अधिनियम दवियांग वयक्तियों के लिये शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, पुनर्वास तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है।
- अधिनियम सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि प्रत्येक दवियांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक एक उपयुक्त वातावरण में मुफ्त शिक्षा मिले तथा सामान्य स्कूलों में दवियांग छात्रों के समाकलन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए। **अतः कथन 1 सही है।**
- इसके अलावा अधिनियम सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों को दवियांग वयक्तियों के पक्ष में घर के लिये भूमिके अधिमिन्य आवंटन (रियायती दरों पर), व्यवसाय स्थापति करने, विशेष स्कूलों की स्थापना, दवियांग उद्यमियों द्वारा कारखानों की स्थापना के लिये योजनाएँ बनाने का निर्देश देता है। **अतः कथन 2 सही है।**
- अधिनियम में अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों आदि सहित सार्वजनिक भवनों में रैंप का प्रावधान है। **अतः कथन 3 सही है।**

स्रोत : द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cpwd-to-allow-4-quota-for-disabled>